न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 105/14/टीआई
गुमानसिंह पुत्र घीसूसिंह उम्र 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—प्रार्थी

बनाम

1. सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. दांतारामगढ जिला सीकर
2. कनिष्ठ अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. दांतारामगढ जिला सीकर
3. प्रहलादसिंह पुत्रश्री उम्मेद सिंह
4. जयसिंह पुत्रश्री भोमसिंह
5. भोमसिंह पुत्रश्री बिशनसिंह
6. गुलाब सिंह पुत्रश्री मूलसिंह
7. श्रीमती सोहनकंवर धर्मपत्नी श्री फूलसिंह उर्फ पुष्पसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीगण कांटिया तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति— 1. श्री नंदलाल धायल वकील प्रार्थी की ओर से
2. श्री लक्ष्मणसिंह वकील अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर से
3. श्री शिवपाल सिह वकील अप्रार्थी सं. 3 ता 7 की ओर से

निर्णय दिनांक— 01.12.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम कांटिया प.मं. कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि ख.नं. 753 रकबा 0.03 है0, 754 रकबा 0.03 है0, 755 रकबा 0.02 है0, 756 रकबा 0.02 है0, 757/1 रकबा 0.90 है0 किता 5 कुल रकबा 1.00 है0 अवस्थित है। आवेदन की मद सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात आवेदक के कब्जे काश्त एवं खातेदारी शुदा भूमियां है जिसमें आवेदन काश्त कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है तथा आवेदक उक्त भूमियों में पुख्ता रिहायशी मकानात बना रखे है तथा पशु आदि के लिए चारा डालने के लिए कच्चे छाप छप्पर बना रखे है। आवेदक की उक्त भूमियों के बीच में से होकर पहले से ही अनावेदकगण की विद्युत की 2—3 लाईनें गुजर रही है जिससे आवेदक की फसल एवं पशु आदि को हर समय खतरा बना रहता है किन्तु अनावेदकगण का ग्राम कांटिया में विद्युत विस्तार का कार्य चल रहा है तथा अनावेदकगण आवेदक की उक्त भूमियों के बीच में से होकर नयी विद्युत लाईन और स्थापित करने पर आमादा है जबकि आवेदक की उक्त भूमियों में से होकर पहले से ही विद्युत की 2—3 लाईनें बीच में से होकर गुजर रही है इसलिए अनावेदकगण को उक्त भूमियों के बीच में से होकर नयी विद्युत लाईन स्थापित करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है इसके

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

बावजूद अनावेदकगण आज से 2–3 रोज पूर्व आवेदक की उक्त भूमियों पर मौके पर जाकर उक्त भूमियों के बीच में से होकर विद्युत लाईन का नाप चौक करने लगे तो आवेदक ने कहा कि यहां क्यों नाप चौक कर रहे हो तो अनावेदकगण ने कहा कि हमारा विद्युत निगम का विस्तार का कार्य चल रहा है तथा आपकी उक्त भूमियों मे से विद्युत लाईन स्थापित करेंगे तब आवेदक ने कहा कि मेरी उक्त भूमियों के बीच में से होकर तो पहले से ही 2–3 विद्युत लाईनें गुजर रही है जिनसे ही कई बार विद्युत फाल्ट होने पर मेरी फसल आदि नष्ट होती है तथा विद्युत पोल की ताण में करंट आने से मेरे मवेशी आदि को भी करंट आने का खतरा रहता है इसलिए मेरी उक्त भूमियों की सीमा के सहारे सहारे आप विद्युत लाईन को स्थापित कर सकते हो किन्तु अनावेदकगण ने आवेदक की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा आवेदक को कहा कि हम तो लाईन बीच में से होकर ही स्थापित करेंगे जबकि आवेदक की उक्त भूमियों के बीच में से होकर अनावेदकगण को विद्युत लाईन स्थापित करने का कोई विधिक अधिकार सुरक्षित नहीं है इसके बावजूद अनावेदकगण आवेदक को नुकसान पहुंचाने के आशय से आवेदक की उक्त भूमियों के बीच में से होकर विद्युत लाईन स्थापित करने पर आमदा है इसलिए आवेदक के लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाया जाना आवश्यक हो गया है कि आवेदक की चरण सं. 2 में वर्णित भूमियों के बीच में से होकर अनावेदकगण किसी प्रकार की कोई विद्युत लाईन स्थापित नहीं करें तद्हेतु आवेदक की ओर से आवेदन बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जाना लाजिम हुआ है। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में सुदृढ है और यदि अनावेदकगण आवेदक की कब्जे कोश्त एवं खातेदारीशुदा भूमियों के बीच में से विद्युत लाईन स्थापित करने में कामयाब हो गये तो अपूरणीय क्षति भी आवेदक को ही होगी जिसका तलाफी भविष्य में किसी भी प्रकार से संभव नही होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः आवेदन पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि आवेदन पत्र की मद सं. 2 में वर्णित कृषि आराजियात ख.नं. 753 रकबा 0.03 है0, 754 रकबा 0.03 है0, 755 रकबा 0.02 है0, 756 रकबा 0.02 है0, 757/1 रकबा 0.90 है0 किता 5 कुल रकबा 1.00 है0 तन कांटिया प.मं. कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के बीच में से होकर अनावेदकगण स्वयं, प्रतिनिधि कार्यकारी एजेंसी विद्युत लाईन स्थापित नहीं करें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से वकील श्री लक्ष्मणसिंह शेखावत उपस्थित हुए व जवाब आवेदन बिन्दुवार पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया कि ग्राम कांटिया में घरेलू कनेक्शन हेतु मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत सामूहिक ग्रुप स्कीम में 5 पत्रावलियां जमा हुई थी जिनको कनेक्शन देने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निगम द्वारा प्राकलन तैयार कर मांग पत्र जारी किया गया जो राशि आवेदकों द्वारा जमा करवायी गयी। राशि निगम में जमा होने के बाद कार्य आदेश संख्या 2398/29 दिनांक 02.07.2013 को जारी किया गया परन्तु उक्त लाईन का कार्य पड़ौसी खातेदार (आवेदक) द्वारा नहीं करने दिया। इस कारण कार्य लम्बित रह गया एवं इसी बाबत उपरोक्त प्रकरण आवेदक द्वारा अदालत हाजा में दायर किया गया व दावा के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा (स्टे) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त

मौका की वस्तुस्थिति हेतु कनिष्ठ अभियंता द्वारा रिपोर्ट ली गई जिसमें कनिष्ठ अभियंता ने लिखा है कि जिस समय प्राकलन बनाया गया था उस समय कोई छान छप्पर वगैरह नहीं थे परन्तु वर्तमान में प्रस्तावित लाईन के नीचे खातेदार ने कच्चे छप्पर आदि बना लिये है। अप्रार्थी सं. 3 ता 7 ने आवेदन अ.आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश होने पर आवेदन स्वीकार होने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया। अप्रार्थी सं. 3 ता 7 की ओर से वकील श्री शिवपालसिंह ने बिन्दुवार जवाब पेश कर विशेष कथन में निवेदन किया है कि आवेदक माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है जवाबदाता/अनावेदकगण के ग्राम कोटिया में घरेलू ग्रुप स्कीम में पांच पत्रावलियां जमा हुई। जवाबदाता/अनावेदकगण को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निगम द्वारा प्राकलन तैयार कर मांग पत्र जारी किया गया जो राशि जवाबदाता द्वारा जमा करवायी जाने पर निगम द्वारा कनेक्शन देने हेतु कार्य आदेश संख्या 2398/29 दिनांक 02.07.2013 को जारी किया गया, परन्तु उक्त विद्युत कनेक्शन को रूकवाने हेतु अनावेदकगण द्वारा मात्र विद्युत विभाग को पक्षकार बनायाा जाकर आवेदकगण द्वारा उक्त झूंठा दावा व टीआई आवेदन पेश कर माननीय न्यायालय से एकपक्षीय स्थगन प्राप्त कर लिया। कानूनन आवेदकगण विद्युत विभाग के खिलाफ किसी भी तरह का आवेदन पेश कर माननीय न्यायालय को मुगालते में रखते हुए घरेलू विद्युत कनेक्शन रूकवाने की दुर्भावना से किसी भी तरह की सहायता/अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा अथवा अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हक अधिकार नहीं है तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन वाली जगह पर विद्युत कनेक्शन रूकवाने हेतु टूटे हुए छान, छप्पर रख दिये थे जो वर्तमान में हटा दिये गये है। इसलिए आवेदकगण का प्रस्तुत आवेदन व टीआई आवेदन झूंठा, मिथ्या और बेबुनियाद अभिकथनों तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किया हुआ होने के कारण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अनावेदक संख्या 1 व 2 लोकसेवक की संज्ञा में आते है इनके खिलाफ आवेदन पेश करने की स्थिति में दो माह का पूर्व विधिक नोटिस देने का कानूनी प्रावधान है परन्तु आवेदकगण द्वारा अनावेदक सं0 1 व 2 को प्रस्तुत आवेदन से पूर्व न तो कोई विधिक नोटिस दिया गया तथा न ही इनके खिलाफ आवेदन पेश करने की अनुमति ली गई। इसलिए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन कानूनी प्रावधानों के विपरीत पेश किया गया होने के कारण प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

3. बहस उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमियों के बीच में से होकर तो पहले से ही 2–3 विद्युत लाईनें गुजर रही है जिनसे ही कई बार विद्युत फाल्ट होने फसल आदि नष्ट होती है तथा विद्युत पोल की ताण में करंट आने से मेरे मवेशी आदि को भी करंट आने का खतरा रहता है इसलिए उक्त भूमियों की सीमा के सहारे सहारे आप विद्युत लाईन को स्थापित करने का निवेदन किया गया। प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में सुदृढ है और यदि अनावेदकगण आवेदक की कब्जे कोश्त एवं खातेदारीशुदा भूमियों के बीच में से विद्युत लाईन स्थापित करने में कामयाब हो गये तो अपूरणीय क्षति भी आवेदक को होगी जिसका तलाफी भविष्य में किसी भी प्रकार से संभव नही होगी इसलिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन स्थगन

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

का जवाब के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं. 3 ता 7 द्वारा ग्राम कांटिया में घरेलू ग्रुप स्कीम के तहत घरेलू कनेक्शन हेतु 5 पत्रावलियां जमा करवायी गई। विद्युत निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर प्रांकलन तैयार कर मांग पत्र जारी किये जाने के बाद राशि जमा करवा दी गई है। अप्रार्थीगण के घरेलू विद्युत कनेक्शन रूकवाने हेतु यह आवेदन स्थगन पेश किया गया है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण के विद्युत कनेक्शन जारी नहीं होने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी। इसलिए आवेदन स्थगन निरस्त फरमाया जावें। कानूनन निगम के विद्युत स्थायी निषेधाज्ञा का दावा चलने योग्य नहीं है। रिपीटल में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि निगम के अभियंता द्वारा मौके की जांच किये बिना ही एस्टीमेंट तैयार किया गया है जबकि प्रस्तावित लाईन के नीचे प्रार्थी के छान छप्पर बने हुए है तथा पशु आदि बधे हुए है। इसके जवाब में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि एस्टीमेंट बनने व अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवाने के बाद जब लाईनें खीचने हेतु जाने पर छान छप्पर रखे गये थे जो वर्तमान में नहीं है। इसलिए आवेदन स्थगन खारिज फरमाया जावें।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 3 ता 7 द्वारा ग्राम कांटिया में घरेलू ग्रुप स्कीम के तहत घरेलू कनेक्शन हेतु 5 पत्रावलियां जमा करवायी गई। विद्युत निगम द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर प्रांकलन तैयार कर मांग पत्र जारी किये जाने के बाद अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा करवा दी गई है। राष्ट्रीय महत्व के कार्य के तहत विद्युत निगम द्वारा विकास कार्यो को ध्यान में रखते हुए काश्तकार/व्यक्ति की मांग पर नियमानुसार मौके की जांच कर तकनीकी अभियंता द्वारा एस्टीमेंट तैयार किया जाता है तत्पश्चात् राशि जमा होने पर विद्युत कनेक्शन जारी होता है जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा रोका जाना न्यायोचित नहीं है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ता 7 के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण के घरेलू विद्युत कनेक्शन रोके जाने से अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी। कानूनन राजस्व न्यायालय विद्युत निगम को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से राष्ट्रीय महत्व के विकास कार्य अवरूद्ध हो जावेगे। ऐसी स्थिति में विद्युत निगम को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन् द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन अं.धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।

5. यह निर्णय आज दिनांक 01.12.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ